129

भारत सरकार

और

आस्ट्रेलिया सरकार

के बीच

खेल के क्षेत्र में सहयोग पर

समझौता ज्ञापन

भारत सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है, और आस्ट्रेलिया सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है, (इसमें आगे वैयक्तिक रूप में 'सहभागी' के रूप में और संयुक्त रूप में 'सहभागियों' के रूप में उल्लिखित) ने ;

सहभागियों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को समझते हुए;

सहभागियों के लिए पारस्पारिकता और आपसी लाभ के आधार पर खेल के क्षेत्र में सहभागियों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने एवं आगे बढ़ाने की इच्छा से;

दोनों देशों में खेल में सत्यनिष्ठा को बनाए रखने की आवश्यकता को समझते हुए;

यह स्वीकार करते हुए कि प्रभावी सहयोग सहभागियों के हित में है और यह मानते हुए कि यह सहयोग उनके साझा हितों को पूरा करेगा और खेलों के संवर्धन और सहभागियों के लोगों के सामाजिक विकास में योगदान देगा ;

निम्नलिखित समझौता किया है :

1. उद्देश्य

सहभागियों ने प्रत्येक देश में समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों तथा ज्ञापन की शर्तों के अध्यधीन संयुक्त रूप से पारस्पारिकता और आपसी लाभ के आधार पर खेल के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने, बढ़ावा देने और विकसित करने का निर्णय लिया है ।

अ. श्री/ग

2. सहयोग के क्षेत्र

1. प्रत्येक सहभागी, अपने संबंधित देश में संबंधित मामले को शासित करने वाले समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार खेलों में सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रयास करेगा ।

2. सहभागी कार्यक्रमों, अनुभवों, कौशल, तकनीकों और ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे जिसमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी, परंतु इन्हीं तक सीमित न होकर :-

(क) एथलीटों, कोचों और टीमों का प्रशिक्षण और प्रतियोगिताएं

(ख) खेल नेताओं, पदाधिकारियों, कोचों और खेल कार्मिकों का आदान-प्रदान और भ्रमण

(ग) खेल शिक्षा, खेल प्रबंधन और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी, कार्यक्रमों और सूचना का आदान-प्रदान

(घ) खेल कार्मिकों और खेल विज्ञान/खेल औषधि/खेल पोषण के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यक्रमों का विकास और आदान-प्रदान

(ड़) खेलों में डोप-रोधी क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी, कार्यक्रमों और ज्ञान का आदान-प्रदान

(च) मैच फिक्सिंग और अवैध सट्टेबाजी के क्षेत्र में सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य संबंधित विषयों के क्षेत्र में प्रशिक्षण और ज्ञान का आदान-प्रदान

(छ) इस ज्ञापन की रूपरेखा के भीतर और सहभागियों द्वारा आपसी लाभ के लिए आवश्यक समझे गए परस्पर रूप से सम्मत क्षेत्रों और विषयों में अन्य प्रकार का सहयोग ।

3. सूचना का आदान-प्रदान

1. सहभागी इस ज्ञापन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगत सूचना का आदान-प्रदान करेंगे । इस ज्ञापन की रूपरेखा के आधार पर और इसके भीतर सूचना के आदान-प्रदान के लिए अधिक विस्तृत व्यवस्था का निर्धारण सहभागियों द्वारा पारस्परिक रूप से किया जाएगा और इसे लिखित में रिकार्ड किया जाएगा ।

2. इस ज्ञापन के अनुसरण में सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में आस्ट्रेलिया और इंडिया में संबद्ध कानूनों के अनुसार और उनके अध्यधीन सहभागी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे ।

अ.श्री०,

3. सहभागी अन्य सहभागी द्वारा प्रदत्त किसी सूचना का संरक्षण अप्राधिकृत सूचना अभिगम्यता और प्रकटीकरण से करेंगे ।

4. सूचना पाने वाला सहभागी उस सूचना पर कार्रवाई करने या उसके प्रकटीकरण के संबंध में सूचना भेजने वाले सहभागी द्वारा लागू शर्तों, प्रतिबंधों या निषेधादेशों का अनुपालन करेगा ।

5. जब तक कि स्थानीय कानून के तहत अपेक्षित न हो, सूचना पाने वाला सहभागी सूचना देने वाले सहभागी की लिखित सहमति के बिना इस ज्ञापन के अंतर्गत प्राप्त सूचना को किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा ।

6. सूचना पाने वाला सहभागी ऐसी किसी स्थिति में जब उसने इस ज्ञापन के अंतर्गत प्राप्त सूचना को लिखित सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष के समक्ष प्रकट किया है, इस प्रकटीकरण की तारीख से अधिकतम तीस दिन के भीतर दूसरे सहभागी को लिखित में सूचित करेगा ।

4. कार्यान्वयन

1. सहभागी पत्रों, बैठकों या अन्य लिखतों के माध्यम से इस ज्ञापन के अंतर्गत विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा विकास के लिए व्यवस्था करेंगे । ऐसी विशिष्ट व्यवस्थाओं के अंतर्गत सहयोग, सूचना आदान-प्रदान, प्रक्रियाओं, बौद्धिक संपदा का निरूपण, निधियन और अन्य उपयुक्त मामलों से संबंधित विषय होंगे ।

2. ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम और इससे संबद्ध व्यवस्थाओं सहित वित्तीय दायित्वों का निर्धारण और प्रलेखन पारस्परिक रूप से एक अनुषंगी व्यवस्था के तहत किया जाएगा । प्रत्येक सहभागी उसकी ओर से इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का समन्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

3. अन्य सहभागी की सहमति के अध्यधीन, आस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य विभाग तथा भारत के कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रो इतर एक प्रारांगिक सरकारी एजेंसी इस ज्ञापन के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संभालेगी । इन कार्यक्रमों को निष्पादित करने वाली प्रचालन व्यवस्थाओं और अनुषंगी व्यवस्थाओं में विर्निदिष्ट पहलों के संबंध में सहभागियों के परामर्श से प्रासंगिक एजेंसियों द्वारा वार्ता की जाएगी ।

4. सहभागी पत्राचार के वार्षिक आदान-प्रदान के माध्यम से इस ज्ञापन के प्रचालन की समीक्षा करेंगे और किए जाने वाले सहयोगात्मक कार्यकलापों के संबंध में आवश्यक अद्यतनीकरण या संशोधनों का निर्धारण पारस्परिक रूप से करेंगे ।

5. प्रत्येक अनुषंगी व्यवस्था इस ज्ञापन के अध्यधीन होगी तथा इस ज्ञापन में किसी भी विसंगति होने की स्थिति में परवर्ती (ज्ञापन) मान्य होगा ।

अ. शर्मा

4. यदि स्वयं अनुषंगी व्यवस्था में अन्यथा उल्लिखित न हो, एक अनुषंगी व्यवस्था शुरू होगी:

क. दोनों सहभागियों द्वारा इसे हस्ताक्षरित करने की तारीख से ; या

ख. वह तारीख जब अंतिम सहभागी हस्ताक्षर करे जबकि दोनों सहभागी एक ही दिन हस्ताक्षर न करें ।

5. परिवर्तन

यह ज्ञापन सहभागियों के बीच आपसी लिखित सहमति से संशोधित किया जा सकता है ।

6. विवादों का निपटान

दोनों सहभागियों के बीच इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न हुए किसी भी विवाद को आपसी परामर्श और वार्ता द्वारा शांतिपूर्वक सुलझा लिया जाएगा ।

7. वित्तीय व्यवस्थाएं

इस ज्ञापन की रूपरेखा के अंतर्गत निष्पादित सहयोगात्मक कार्यकलापों के लिए वित्तीय व्यवस्थाएं सहभागियों द्वारा पारस्परिक रूप से मामला दर मामला आधार पर निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन निर्धारित की जाएंगी ।

8. समझौता ज्ञापन का प्रभाव

यह ज्ञापन और इसके अनुसरण में की गई कोई अनुषंगी व्यवस्था केवल सहभागियों के अभिप्रायों के रिकार्ड के रूप में कार्य करती है और स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किन्ही अधिकारों या दायित्वों को संस्थापित या सृजित नहीं करती है और संस्थापित या

सृजित करने का अभिप्राय नहीं रखती है । इसके अतिरिक्त इस ज्ञापन से कोई विधिक प्रक्रिया उत्पन्न नहीं होगी और इसे किन्हीं कानूनी बाध्यता या प्रभाव में आने योग्य बाध्यताओं, सुस्पष्ट या अंर्तनिहित, को संस्थापित या सृजित करने वाला नहीं समझा जाएगा ।

9. अन्य अधिकार और हित

इस ज्ञापन में निहित किसी बात के होते हुए भी तथा समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अध्यध्यीन, जहां इस ज्ञापन के कार्यान्वयन से किसी सहभागी पर उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय या लोक हित, जन व्यवस्था, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा या दस्तावेजों, सूचना या डाटा की गोपनीयता के संबंध में उसके अधिकारों या हितों को प्रभावित करेगा,

यह सहभागी अपने अधिकारों और हितों की सुरक्षा तथा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकता है या परामर्श कर सकता है ।

10. प्रभाव में आना, अवधि और पर्यावसान

1. यह ज्ञापन इसके हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभाव में आएगा तथा तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए प्रभाव में रहेगा ।

2. इस ज्ञापन को सहभागियों द्वारा आपसी सहमति से लिखित में निर्धारित और आगे अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

3. इस ज्ञापन में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी सहभागी इस ज्ञापन को समाप्त करने के अपने अभिप्राय से अन्य सहभागी को ऐसा करने से कम से कम तीन (3) महीने पहले लिखित में अधिसूचित करके इस ज्ञापन का पर्यावसान कर सकता है ।

संबंधित सरकारों द्वारा इसके साक्षी के रूप में विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में 5.9.2014 को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के दो-दो मूल पाठों में हस्ताक्षरित । दोनों पाठों की वैधता समान रूप से प्रामाणिक । तथापि, इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

भारत सरकार की ओर से	आस्ट्रेलिया सरकार की ओर से
अ. श.	
अजीत मोहन शरण, सचिव, खेल विभाग, कौशल विकास, उद्यमिता, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	पैट्रिक सकलिंग भारत में आस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त